

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

कुल सचिव,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर युनिवर्सिटी,
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ,
उ०प्र०।

पत्रांक:- 2702-93 / दि०ज०स०वि० / स्को० / 2018-19 : लखनऊ : दिनांक-09 अगस्त, 2018

विषय:- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र- 2018-19 हेतु "गार्ड-लाइन्स" के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अनु सचिव, (स्कालरशिप) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र संख्या- एफ०१७/२६/२०१७-एस०सी०एच, दिनांक- 23.07.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु गार्ड-लाइन्स उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें दिव्यांग छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त गार्ड-लाइन्स आपको इस के साथ प्रेषित की जा रही है कि गार्ड-लाइन्स में दी गयी व्यवस्थानुसार आप अपने विश्वविद्यालय में व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि www.scholarships.gov.in पर प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 31.10.2018 है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि विश्वविद्यालय का कोई पात्र दिव्यांग छात्र/छात्रा इस योजना वंचित न रहने पाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
उपनिदेशक,
नोडल अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ।



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'Cell', 'K/An', '26/9/18', and 'ST-enc'.

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
उपनिदेशक,
नोडल अधिकारी।